

फर्द अहकाम

कैलाश

बनाम

आचूकी वगै०

यालय का नाम-उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

न सं० 140/2025

क्र०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	04.07.2025	<p>अधिवक्ता श्री अशोक कुमार कुमावत द्वारा वाद बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्टें हो चुकी है। अतः दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिए रजि०एडी० नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 01.08.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>DC</i> उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>	
	11/8/25	<p>पत्रावली पेश हुई। जदी प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 10/9/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>Delu</i></p>	
	10-9-25	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वारी उप० अधिवक्ता वारी द्वारा विवेक क्रिया गमा के प्रकार से पत्रकारान के मध्य राजीनामा हो गया है, इसलिए अपने वाद की बागी नहीं चलाता चाहते हैं। अतः वाद पर 'Not Press' करने की अनुमति प्रदान करवे। अधिवक्ता वारी के विवेक पर पत्रावली Not Press करने की अनुमति प्रदान की जाकर वारी का वाद 'Not Press' के आधार पर शरिच क्रिया गमा। पत्रावली फौसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल रफ्तार हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>Delu</i> उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर</p>	<p><i>Not Press</i> 10/9/25</p>